संख्या-1564/नौ-9-2011-9ज/98टी.सी.

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
झाँसी मण्डल झाँसी/चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनाँक 30 जून, 2011

विषय- प्रदेश में नगरीय निकायों द्वारा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-3586/नौ-9-2001-9ज/98, दिनांक 26.11.2001 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किए गये थे कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतें उपविधि बनाकर निकाय सीमा के अन्तर्गत आने वाले ऐसे वाहनों पर जो स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित स्टैण्ड या पार्किंग स्थलों पर ठहराव करते हों अथवा ऐसे वाहन पर जो निकाय सीमा अन्तर्गत सवारियों को उतारते अथवा चढाते हो, कर लगा सकती है परन्तु ऐसे वाहन जो निकाय सीमा में प्रवेश करते हो अथवा निकाय सीमा से होकर बाहर जाते हों, प्रवेश या निर्गमन शुल्क आदि आरोपित नहीं कर सकती है।

2- उक्त के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई कि नागर निकायों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और बैरियर लगाकर नगरों में प्रवेश करने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क की वसूली की जा रही है । अतः इस पर रोक लगाये जाने की नितान्त आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 2121/नौ-9-2008-09ज/98 टी.सी. दिनांक 03 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या-3813/9-9-11-09ज/98टी.सी. दिनाँक 12.01.2009 द्वारा पुनः यह निर्देशित किया गया कि नगरीय निकायों द्वारा पार्किंग शुल्क वहीं पर वसूला जाय ,जहां पर निकायों द्वारा वाहन पार्किंग स्थल की व्यवस्था निर्धारित की गयी हो और जन सुविधाए उपलब्ध करायी गयी हों। पार्किंग स्थल पर संबंधित ठेकेदार का नाम ,अवधि ,दरें आदि का विवरण सूचना पट्टिका पर अंकित करने की व्यवस्था

ह/-

सुनिश्चित की जाए तथा जहां पार्किंग स्थल की व्यवस्था नहीं की गयी हो वहां पर किसी प्रकार की पार्किंग शुल्क/अबैध वसूली न की जाय ।

3. उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में मार्गो पर बैरियर लगाकर/पड़ाव अड्डा के नाम पर की जा रही वसूली की अनुचित प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही साथ अपने स्तर से भी समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि उक्त स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर, बैरियर लगाकर/पड़ाव अड्डा के नाम पर की जा रही वसूली में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
सचिव